कार्यालय जिलाधिकारी, सीतापुर।

(खनन अनुभाग)

पत्रांक–3687 / डी0एस0आर0 / 2020–21 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बालू के सुव्यवस्थित खनन सम्बन्धी प्रक्रिया के सम्बन्ध में जनवरी 2020 मे "Enforcement & Monitoring guidelines for Sand Mining" गाइडलाइन्स निर्गत की गई है। उक्त गाईड लाइन्स के प्रस्तर 4–1–1(a) के अनुसार खनन क्षेत्रों की नीलामी/ई– नीलामी/खनन पट्टे की स्वीकृति/आशय पत्र निर्गत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) तैयार किया जाना है। अतः उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) अधिसूचना/आदेश जारी होने तक जनपदों से प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्षेत्रों के प्रस्तावित संशोधन/संयोजन के लम्बित प्रस्तावों तथा नये प्रस्तावों के परीक्षण हेतु उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 790/86–2020–01 (सा0)/दिनांक 01 जून 2020 द्वारा तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

उक्त के क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय, सीतापुर (खनन अनुभाग) के पत्र संख्या 3193 दिनांक 18–09–2020 द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को भेजे गये जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट संशोधन/संयोजन के प्रस्ताव को शासकीय पत्र संख्या 1935/86–2020–01(सा0)/2020 दिनांक 06–11–2020 द्वारा संशोधित/संयोजित कर लिया गया है। जो निम्नवत है।

साधारण बालू खनन क्षेत्रों का विवरण –

ग्राम	तहसील	जनपद	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	वन अनापत्ति का पत्रांक व दिनांक	सिंचाई विभाग की आख्या का पत्रांक व दिनांक
सेतुही	लहरपुर	सीतापुर	21क/20	1.072है0	1041/ 26–09–2020	3380/ 06–10–2020

उक्त क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या 1341/एम0 228/2017 (खनन नीति)–डी0एस0आर0 दिनांक 19–11–2020 द्वारा जनपद के एक खनन क्षेत्र स्थित ग्राम सेतुही, तहसील लहरपुर जनपद सीतापुर (छाया प्रति संलग्न) के व्यवस्थपन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गयें है, जिसे जिले के पब्लिक डोमेन वेबसाइट पर 21 दिन के लिए अपलोड किया जाएगा। यदि रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति अपना सुझाव देना चाहता है, तो 21 दिन तक अपना सुझाव कार्यालय जिलाधिकारी, सीतापुर (खनन अनुभाग) में प्रस्तुत कर सकता है।

(विशाल भारद्वाज)
जिलाधिकारी, सीतापुर।

पत्रांक – संख्या व दिनांक समांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग सीतापुर।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस आशय से कि उक्त रिपोर्ट को जनपद की पब्लिक डोमेन वेबसाइट पर अपलोड कर 21 दिन के लिए रखना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, लखनऊ।
7. नजिर सदर कलेक्ट्रेट सीतापुर को इस आशय से प्रेषित कि कलेक्ट्रेट के सूचना पट पर प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी, सीतापुर।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner